



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND ANTI-

P.S. (थाना): KULLU

Year (वर्ष): 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 12/03/2021 23:42 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	379
2	IPC 1860	120-B
3	INDIAN FOREST ACT, 1927	32
4	INDIAN FOREST ACT, 1927	33
5	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	14

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/03/2021

Time (समय): 10:12 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016

Date & Time (दिनांक और समय): 12/03/2021 21:46 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 30 Km(s)

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Luder Singh

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/08/1967

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Leda, BALH, MANDI, HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	Leda, BALH, MANDI, HIMACHAL PRADESH, INDIA



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9418049017

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	OTHERS	FOREST PRODUCTS	Logs	12,31,410.00

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में): 12,31,410.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
-----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इस समय निरीक्षक लुदर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना रा.स.एवं ध. रो. ब्यूरो कुल्लू द्वारा लिखित रूका वदस्त HHC सतीश कुमार के थाना में अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुआ है। जिसका सार निम्नलिखित है। सेवा में प्रभारी थाना रा.स. एवं ध. रो. ब्यूरो थाना कुल्लू श्रीमान जी, सरकारी कार्य से निवर्तन है कि आज दिनांक 12-03-2021 को मैं निरीक्षक, उप० उ० अधीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में मय निरीक्षक मुकेश कुमार, HHC थरवेन छेरिंग, HHC सतीश कुमार, गृह रक्षक कमलेश कुमार 7/1-63, HHC प्रेम प्रकाश के व सवारी गाड़ी सरकारी HP 33A-8793 जेर चालक आ० रोशन लाल के व सिलसिला तस्दीक हालात रपट न० 5 रोजनमवा थाना दिनांक 11-3-2021 के मुताबिक DD NO 7 दिनांक 12/3/2021 के मुकाम हेवरी झीड़, चमोली जंगल, वन वीट व्यासर आदि का रवाना था। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी कुल्लू श्री मनोहर लाल व वन खण्ड अधिकारी श्री जमेर सिंह को भी तलब मौका किया गया था जो भी हाजिर मौका आए तथा स्थानीय व्यक्ति श्री प्रकाश चन्द S/O श्री ध्यान R/O VPO व्यासर व श्री हीरा लाल S/O श्री पुत्र राम R/O गांव नगंचा PO बन्दरोल को भी शामिल किया जा कर वन वीट व्यासर के चमोली जंगल का भ्रमण / निरीक्षण किया तो इस जंगल में अलग-2 जगहों पर अलग-2 किस्म के अवैध कटान किए हुए कुल 5 पेड़ों के मुण्डे (stump) पाए गए। जिनकी पैमाईश व मूल्यांकन वन परिक्षेत्र अधिकारी कुल्लू मनोहर लाल से करवाया जा कर रिपोर्ट हासिल मौका पर करी गई। पैमाईश करने पर stump No.1 किस्म रई जिसकी गरथ 85-90 CM व वॉस्ट हाईट IB 7.08 घन मीटर, stump No.2 किस्म रई गरथ 90-95 CM वॉस्ट हाईट I-C 8.49 घन मीटर, stump No.3 किस्म देवदार गरथ 80-85 से 100 मीटर वॉस्ट हाईट IB 5.10 घन मीटर, stump No.4 किस्म देवदार गरथ 42-48 CM वॉस्ट हाईट III 1.00 घन मीटर व stump No.5 किस्म देवदार गरथ 60-62 CM वॉस्ट हाईट IIB 3.00 घन मीटर पाई गई तथा रई के अवैध कटान किए गए। दोनों पेड़ों की किस्म मु० 5.10,353.46 व देवदार के अवैध कटान किए गए तीनों पेड़ों की किस्म 7,21,056.70 कुल मु० 12,31,410.16 रुपये पाई गई। stump No.1 किस्म रई के नजदीक एक बड़ी LOG साईज 7.40 mtr X 2.60 mtr मौका पर कटी पाई गई। जो इस stump से एक टुकड़ा लकड़ी आरी से काट कर बतौर नमूना मिलान हेतु लिया गया जिसे S-1 से मार्क किया गया तथा ब्रामदा LOG से भी एक टुकड़ा लकड़ी बतौर नमूना काट कर लिया गया जिसे मार्क S-2 दिया गया। stump No.2 किस्म रई जो लगभग stump No. 1 से 20 मीटर की दूरी पर उपर की तरफ है। इस stump के पास भी एक बड़ी LOG मौका पर पाई गई। LOG की ल० X ग्लोई 8.50 mtr x 2.40 mtr पाई गई। stump No. 2 से भी एक नमूना लकड़ी आरी से काट कर दिया गया। जिसे मार्क S-3 दिया गया और LOG से भी एक नमूना लकड़ी टुकड़ा मिलान हेतु काट कर लिया गया जिसे मार्क S-4 दिया गया। stump No 3 किस्म देवदार जो कि stump No. 2 से उपर जंगल की ओर लगभग 60/70 मीटर की दूरी पर पाया गया। इस stump से भी एक टुकड़ा नमूना लकड़ी काट कर लिया गया। जिसे मार्क S-5 दिया गया। stump No. 4 किस्म देवदार जो कि stump No. 3 से उपर पहाड़ी जंगल की तरफ लगभग 600/700 मीटर की दूरी पर है से भी नमूना टुकड़ा लकड़ी आरी से काट कर लिया गया। जिसे मार्क S-6 दिया गया। stump No. 5 किस्म देवदार जो कि stump No 4 से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उपर जंगल की तरफ है। से भी एक पीस टुकड़ा लकड़ी बतौर नमूना आरी से काट कर लिया गया। जिसे मार्क S-7 चिन्हित किया गया। जो उपरोक्त अवैध कटान किए गए पेड़ों के stumps व LOGs से लिये गए सभी नमूना जात मार्क S-1 से S-7 को एक कपड़ा पुलिदा में बन्द किया जा कर गवाहों के सामने मोहर S की 8 मोहरों से सर्वमोहर किया गया। नमूना मोहर (S) अलग कपड़ा पर ली गई। पुलिदा कपड़ा नमूना जात को बतौर वजह सवुत कब्जा पुलिस में लिया गया तथा ब्रामदा LOGS रई जो stump No.1 व 2 के पास ब्रामदा हुए हैं को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेने के उपरान्त संपूर्णदारी पर वन खण्ड अधिकारी, रायसन जमेर सिंह को दिये गये। इसके अतिरिक्त stump No.4 व 5 के इर्द गिर्द दो देवदार पेड़ों के अवैध कटान की डैमेज रिपोर्ट वन रक्षक प्यारे लाल, प्रभारी वन वीट व्यासर द्वारा काटना पाई गई है। परन्तु 5 उपरोक्त पेड़ों के अवैध कटान बारे में कोई भी कार्यवाही वन रक्षक प्यारे लाल प्रभारी वन वीट व्यासर द्वारा न करना पाई गई है और न ही इस अवैध कटान/ चोरी बारे कोई रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को की है। यह अवैध कटान किसी न मालूम व्यक्तियों द्वारा किया गया है और अवैध कटान करके वन सम्पदा को चोरी किया गया है। जो इस प्रकार चमोली जंगल DPF वन वीट व्यासर में न मालूम व्यक्तियों द्वारा अवैध कटान करके वन सम्पदा को षडयन्त्र रच कर चोरी करना जुर्म जेर धारा 379,120B IPC व 32,33,IF Act व वन रक्षक प्यारे लाल, प्रभारी वन वीट व्यासर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में हो रहे अवैध कटान करके चोरी की गई लकड़ी के बारे में जानबुझ कर व नीयतन रिपोर्ट न करना जुर्म जेर धारा 14 Himachal Pradesh Prevention Of Specific corrupt Practices Act,1983 की जट में आना पाया जा रहा है। जो रूका बाये कायमी मुकदमा वदस्त HHC सतीश कुमार के थाना भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से सूचित करें। मन निरीक्षक मशरूफ तफ्तीश वर मौका हूँ। Sd. Luder Singh लुदर सिंह, निरीक्षक अन्वेषक थाना SVACB कुल्लू जि० कुल्लू स्थान:- देवरी झीड़, चमोली नजद नगंचा, जंगल वन वीट व्यासर व फासला करीब 30 K.M जानिव उतर थाना से दिनांक 12-3-2021 समय:-7.00 सायं (pm) कार्यवाही थाना हस्व आमदा रूका को शब्द व शब्द लिखा जा कर FIR हजा की प्रतियां तैयार की गई। मुकदमा हजा का इन्दाज सम्बन्धित रजिस्ट्रार में किया गया। प्रथम सूचना की रिपोर्ट हवलदार गृह रक्षक दीना नाथ न० 7/3-41 के माननीय विशेष न्यायधीश कुल्लू भेजी जा रही है। जुर्म विशेष नोईयत का है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष प्रतिवेदन समझा जाए। मिसल मुकदमा तैयार करके आरिन्दा मा० मु० आ० सतीश कुमार के वर मौका निरीक्षक लुदर सिंह के पास भेजी जा रही है।



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
No. (सं.):

Luder Singh

Rank (पद): I (Inspector)

to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Bhupender Pal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 13070